158

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर संभाग

I/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा/2018/0899

श्रीमति पार्वती वेवा जुगला काछी

निबासी— ग्राम करमासन घाट तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

.............आवेदकगण

वनाम

लछुआ तनय प्यारेलाल कुशवाहा

निबासी— ग्राम करमासन घाट तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

.... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी **राजस्व निरीक्षक वृत्त बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 0015/अ—12/2017—18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 25/10/2017** एवं संपूर्ण सीमांकन प्रक्रिया से परिवेदित होकर कर रहा हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय बल्देवगढ जिला टीकमगढ के समक्ष सीमांकन बावद प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा रानि को सीमांकन करने बावद आदेशित किया गया। जिसके आधार पर रानि द्वारा समस्त सहखातेदारों सीमांत कृषकों पूर्व सूचना दिये बगैर, बगैर बिधिवत प्रकिया अपनाये, दिनांक 25/10/2017 को सीमांकन स्वीकृत करने संबधी आदेश जारी कर दिया, जिसमें संलग्न पंचनामा में मोहन, भगुंती तनय हीरा, पार्वती वेवा जुगला, प्यारीबाई बेवा हीरा कुशवाहा, चुन्ना तनय चपरा काछी, नत्थू तनय दम्मू कुशवाहा का अनाधिकृत कब्जा बतला दिया गया। जिससे परिवेदित होकर आवेदक यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

निगरानी के आधार

1— यह कि अधिनस्थ रानि द्वारा आलोच्य सीमांकन करने से पूर्व आवेदिका एवं अन्य किसी भी सीमांत कृषक को ना तो विधिवत सूचनापत्र जारी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0899

श्रीमती पार्वती विरूद्ध लछुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़, जिला–टीकमगढ़ के प्र. क्र. 0015/अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 25–10–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 8/3/2019 सदस्य	